SUPPRIME AROUT IN STITUTION OF INDIA SUPPRIME AROUT IN STITUTION OF INDIA SUPPRIME IN SUPP

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा-।)

ओडिशा, भुवनेश्वर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL, (AUDIT-I)

ODISHA, BHUBANESWAR

परिपत्र <u>CIRCULAR</u>

वितीय वर्ष 2025-26 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (एच. बी. ए.) प्राप्त करने के लिए प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा परीक्षा -I), ओडिशा भुवनेश्वर के अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसलिए, योग्य अधिकारी/कर्मचारी जो चालू वित्त वर्ष में एच बी ए का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ का.स्था./एलटीए अनुभाग में 10.09.2025 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदकों को अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे बजट अनुमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन जमा करने से पहले भारत सरकार, आवास शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय जापन सं. I. 17011/11 (4)/2016-एच-III, दिनांक 09.11.2017 द्वारा परिचालित एचबीए नियम-2017 के तहत निर्धारित पात्रता और अन्य मानदंडों के विवरण को ध्यान से देखें। गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त करने के लिए आवेदक जो एक नए घर के निर्माण/प्लॉट खरीदने और उस पर घर बनाने/तैयार भवन बनाने/मौजूदा घर में रहने की जगह बढ़ाने के लिए एचबीए का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, वे आवेदन पत्र के साथ में जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची के संबंध में का. स्था./एलटीए अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने पहले ही **बैंकों / अन्य वितीय संस्थानों** से गृह ऋण प्राप्त कर लिया था, वे भी इस योजना में **भारत सरकार, आवास शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय जापन सं. I.** 17011/11 (4)/2016-एच-III, दिनांक 31.01.2018 के अनुसार स्थानांतरित हो सकते हैं। वे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी कुल बकाया ऋण राशि (मूलधन और ब्याज) एचबीए के लिए पात्र राशि से कम या बराबर है, यानी मूल वेतन के 34 महीने, अधिकतम 25 लाख, केवल इस योजना के तहत एचबीए के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस संबंध में, आवास ऋण से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक है।

- 1. बैंक से ऋण स्वीकृति दस्तावेज / प्रमाण पत्र।
- 2. मूलधन और ब्याज के प्रति बकाया ऋण राशि दिखाने वाला बैंक विवरण।
- 3. वेतन पर्ची।

यह उल्लेख करना उचित है कि आवेदक को मुख्यालय कार्यालय से धन प्राप्त होने के बाद पहले आओ पहले पाओं के आधार पर ऋण वितरित किया जाएगा। किसी भी तरह से अपूर्ण या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। गलत/झूठी/मनगढ़ंत जानकारी प्रस्तुत करने और तथ्यों को छुपाने को गंभीरता से लिया जाएगा और उन अधिकारियों के खिलाफ सीसीएस (सीसीए) नियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही सहित उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Applications are invited from the officers/ officials of the Office of the Pr. Accountant General (Au-I), Odisha Bhubaneswar for availing House Building Advance (HBA) for the financial year 2025-26. Therefore, eligible officers / officials who are desirous of availing HBA in the current financial year may submit applications along with the requisite documents to OE/LTA Section latest by 10.09.2025. Further, applicants are not allowed to withdraw their applications as this would adversely affect the budget estimates. Applicants are requested to go through the details of eligibility and other criteria prescribed under HBA Rules-2017 circulated vide GOI, MOHUA OM No. I. 17011/11 (4)/2016-H-III, dated 09.11.2017 before submitting their applications for availing House Building Advance. The Applicants who desire to avail HBA for the construction of a new house/ purchasing a plot and construction a house thereon / ready-built building/ enlarging living accommodation in an existing house may contact OE/LTA Section regarding the list of documents required to be submitted along with application form.

Further, employees who had already availed home loans from Banks/other Financial Institutions may also migrate to this scheme, in terms of GOI, MOHUA OM No. I-17011/11(4)/2016 – H.III dated 31.01.2018. The officers/ officials whose total outstanding loan amount (principal and interest) lying with Bank is less or equal to the eligible amount for HBA i.e., 34 months of Basic Pay subject to maximum 25 lakhs, are only eligible to apply for HBA under this scheme. In this regard, the following documents relating to housing loan are required to be submitted along with application form.

- a. Loan sanction document/ certificate from Bank.
- b. Bank statement showing outstanding loan amount towards Principal & interest.
- c. Salary-Slip.

It is pertinent to mention that the loan will be disbursed to the Applicant after receipt of funds from Headquarters Office on **first come first serve basis**. Applications incomplete in any respect or received beyond the stipulated date shall be rejected. Submission of incorrect/false/fabricated information and suppression of facts will be viewed seriously and suitable disciplinary action, as deemed fit, will be taken against those officials including Departmental Proceedings as per CCS (CCA) Rules.

हस्ता./-

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/ का.स्था(एल टी ए) Sr. Audit Officer/ OE(LTA) ज्ञापन सं. का.स्था /एलटीए(ऑडिट-1)/एचबीए/2025-26/ Memo No. OE/LTA(AUDIT-1)/HBA/2025-26/

दिनांक: 02.09.2025 Date: 02.09.2025

Copy forwarded for information and necessary action to:

- 1. Secretary to the PAG (Audit-I), Odisha, Bhubaneswar.
- 2. Steno to Sr.DAG (Admn / AMG-V).
- 3. Steno to DAG (AMG-I/ AMG-II/ AMG-III/ AMG-IV)
- 4. Welfare Officer
- 5. BO i/c of Admn / OM / Estate / Hindi Cell / Trg. & Exam / Report ECPA /Report (PAC)/ OE/ ITA/Confidential cell for wide circulation among the Officers/officials.
- BO i/c of AMG-I/ AMG-II/ AMG-III/ AMG-IV/ AMG-V for information. It is requested to circulate the same among the field party personnel under their control.
- 7. DA cell requested to upload the circular on office website.

8. Notice Board/Guard File/Spare.

स्वाति पारिणारी

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी/ का.स्था(एल टी ए) Sr.Audit Officer/OE(LTA)

(S-252)

GRANT OF ADVANCE FOR PURCHASE OF LAND OR PART/FULL CONSTRUCTION, ENLARGEMENT, ETC., OF A HOUSE

APPLICATION FORM

(To be filled by the applicant)

GENERAL

- 1. Name (in Block Letters)
- 2. Ministry/Office
- 3. Post held
 - i) Permanent
 - ii) Temporary
- 4. Length of Service on the date of application
- 5. Present pay with pay scale
- 6. Whether governed by Pension Rules
- 7. Date of superannuation
- Amount of Provident Fund/any other advance/final withdrawal taken for purchase of land/ Construction (an attested copy of the sanction to be enclosed)

PARTICULARS RELATRING TO ADVANCE:

9. If advance is needed for purchase of a plot and/or for construction of a new house, please give the following information:-

A. PLOT

Location with address	Rural/ Urban	Is it clearly demarcated and developed	Approximate area (in Sq. mtrs)	a)Cost b)Amount actually paid	If not pur- chased when pro- posed to be acquired	Unexpired portion of lease if not freehold
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	,	0	1

...../2

B. CONSTRUCTION

Floor-wise area to be constructed in (sq. mtrs.)	Estimated cost	Amount of advance required (for land/ construction/both)	No.of instalments for repayment
8	9	10	11
Gr. Floor			
I Floor			
II Floor			

10. If advance is required for enlarging the existing house, please state :

Location with address	Plinth area (in sq.mtrs.)	Plinth area pro- posed for enlarge- ment (in sq. mtrs)	Cost of construc- tion/acq- uisition of existing House	Cost of proposed Enlarge- ment	Total plinth area (2+3)	Total cost (4+5)	Amount of advance required	No.of instal- ments for repay- ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(NOTE: If the enlargement is proposed on any floor other than ground floor, a certificate from an approved Engineer to the effect that foundations of the existing structure can safely take the load of the proposed enlargement, should be enclosed.)

11. If advance is required for purchasing a ready-built house/flat, please state :-

Location with address	Plinth area (in sq. mtrs.)	When constructed	Price settled	The agency from whom to be purchased	Amount a)Already Paid b)To be paid	Amount of advance required	No. of instalments for repayment
1	2	3	4	5	6	7	8

MISCELLANEOUS

12. If you or any dependent member of your family already own(s) a house, please state :-

Location with address	Plinth area (floor-wise)	Present fair market value Rs.	Reasons for acquiring another house or enlarging the existing house
1	2	3	4

13. Have you enclosed - a) the relevant construction plan Approved by the Municipal authority concerned; and

b) detailed construction estimates based on Central/State PWD Schedule, prevailing in the area corrected as per Relevant cost of index duly signed by qualified Engineer

Declaration

- 1. I solemnly declare that the information furnished by me in reply to the various items indicated above is true to the best of my knowledge and belief.
- 2. I have read the rules regulating the grant of advances to Central Government servants for purchase of land and Purchase/construction of buildings, etc., and agree to abide by the terms and conditions stipulated therein.
- 3. I certify that:
 - i) my wife/husband is not a Central Government servant/my wife/husband who is a Central Government servant, has not applied for and/or obtained an advance under these rules;
 - ii) neither I nor my wife/husband/minor child has applied for and/or obtained any loan or advance for acquisition of a house in the past from any Government source (e.g., Ministry of Rehabilitation or under any Central or State Housing Scheme);
 - iii)the construction of the house for which the advance has been applied for, has not yet been commenced.

Station	Signature of the Applicant
Dated	Designation
	Emp. Code No
	Telephone/Intercom No

(एस - 252)

भूमि की खरीद अथवा अंश/सम्पूर्ण निर्माण के लिए अग्रिम अनुदान आवेदन प्रपत्र (आवेदन द्वारा भरा जाना चाहिए)

सामान्य

- 1. नाम (बड़े अक्षरों में)
- 2. मंत्रालय/कार्यालय
- 3. धारित पद
- (i) स्थायी
- (ii) अस्थायी
- 4. आवेदन की तिथि तक सेवा की अवधि:
- 5. वर्तमान वेतन, वेतनमान (पे-स्केल) सहित:
- 6. क्या पेशन नियमो के अधीन है:
- 7. सेवानिवृत्ति की तिथि :
- 8 भविष्य निधि की राशि/अन्यअग्रिम/भूमि खरीद के लिए निकाली गई अंतिम राशि:

अग्रिम से संबंधित विशेष निकासी

9. क्या अग्रिम की प्लांट खरीदी के लिए आवश्यकता थी अथवा/नव -गृह निर्माण के लिए,कृपया निम्न जानकारी दें :

(क) प्लोट

पत्तो सहित	ग्रामीण/शहरी	क्या स्पष्ट	अनुमानित	क) लागत	यदि	पट्टेका
स्थिति		रूप से	क्षेत्र(स्कवायर	ख)वास्तविक	अधिग्रहष	अप्रयुक्त
	780	सीमांकित	मीटर में)	भ्गतान	के लिए	भाग यदि
		और		राशि	प्रस्तावित	पूर्ण
		विकसित है			होने पर	स्वामित्व
					खरीदा नही	वाली भूमि
					जाता है	नहीं है
1	2	3	4	5	6	7

(ख) निर्माण

तल आधार पर क्षेत्र का निर्माण किया जाना है (स्कवेयर मीटर)	अनुमानित लागत	आवश्यक अग्रिम राशि(भूमि/निर्माण/ दोनों के लिए	पुनर्भुगतान के लिए किस्तों की संख्या
8	9	. 10	11
भू - तल प्रथम तल द्वितीय तल			

10. यदि मौजूद घर बढ़ाने के लिए अग्रिम की आवश्यकता है कृपया बताएं:

पते सहित स्थान	क्षेत्र (स्क्वेयर मिटर)	क्षेत्र	मौजूदा घर के अधिग्रहण/निर्माण की लागत	क्षेत्र	कुल पिलंथ क्षेत्र (2+3)	कुल लागत (4+5)	अग्रिम राशि	पुनर्भुगतान के लिए कुल किस्तों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	3

टिप्पणी : यदि भू-तल की अपेक्षा किसी अन्य तल की क्षेत्र वृद्धिका प्रस्ताव है तो एक स्वीकृत/अनुमोदित अभियंता से इस आशक का प्रमाण-पत्र कि मौजूदा संरचना की नींव सुरक्षित रूप से प्रस्तावित वृद्धि का भारले सकती है, संलग्न किया जाना चाहिए ।

11. यदि तैयार घर/फ्लैट की खरीदी हेतु अग्रिम की आवश्यकता है तो कृपया बताएँ :-

स्थान सहित पता	तैयार घर/फल प्लिथ क्षेत्र(स्क्वेयर मिटर में)	जहां .	तय मूल्य	अभिकरण (एजेंसी) जिससे खरीदा जाना है	राशि(क)भुगतान किया गया(ख)भुगतान किया जाना है ।	आवश्यक अग्रिम राशि	पुनर्भुगतान लिए कुल किस्तों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

12.यदि आप या आपके परिवार के किसी आश्रित सदस्य का स्वय का मकान है तो, कुपया विवरण दे :

स्थान सहित पता	प्लिंथ क्षेत्र (तल अनुसार)	वर्तमान उचित बाजार मूल्य	अन्य घर अधिगृहण करने अथवा वर्तमान घर का क्षेत्र बढ़ाने का कारण
1	2	3	4

13.क्या संलग्न किया है -(क) संबंधित निर्माण योजना जिसे नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

(ख) इस क्षेत्र में विधमान केन्द्र/राज्य पी.डब्ल्यू .डी. सूचि प् आधारित अर्हता प्राप्त अभियंत द्वारा हस्ताक्षरित ब्यौरेवार निर्माण आकलन जिसका सुधारसंगन लागत सूचकांक के आधार पर किया गया ।

घोषणा

- 1. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विभिन्न मदों के प्रतिउत्तर में दी गई जानकारी मेरी जानकारी व स्मरण के अनुसार सत्य है,
- 2. मैंभूमि खरीदी के लिए और इमारतों की खरीदी एवं निर्माण इत्यादि के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम अनुदान की नियमावली को पढ़ चुकाहूँ और उसके निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ ।
- 3. मैं स्पष्ट करता हूँ कि :
- (i) मेरी पत्नी/पती केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं है । मेरी पत्नी/पत्ती जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी है, उसने इन नियमों के तहत अग्रिम प्राप्ति लिए आवेदन नहीं किया है ।
- (ii) न तो मैने और ना ही मेरी पत्नी/पत्ती/नाबालिग बच्चे ने किसीसरकारी स्त्रोत से पूर्व में मकान के अधिग्रहण के लिए कोई ऋण लिया है/या प्राप्त किया है ।
- (iii) जिस मकान के लिए अग्रिम आवेदन किया गया है, उसका निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

स्थान	प्रार्थी के हस्ताक्षर	_
दिनांक	ч а	_
	ईएमपी.कोड सं	
	दूरभाष/ इन्टरको सं	